7. शैक्षणिक योग्यता, आयु, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी एवं अन्य आवश्यक समस्त मूल दस्तावेज।
8. भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति इस भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना पी.पी.ओं ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथी से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयन नहीं किया जायेगा।

20.**आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम**:—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination"तथा "The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. लिपिक ग्रेड—II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम :—

लिपिक ग्रेड—II/कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है :—

प्रतियोगी परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र सम्मिलित होगे ओर प्रत्येक प्रश्न पत्र उसके सामने दर्शित अंकों का होगा, अर्थात :—

प्रश्न पत्र	**अवधि**	**अंक**
फेज—I		
1. सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित।	3 घण्टे	100
2. सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी।	3 घण्टे	100
फेज—II		
I- निःशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए :—		
1. कम्प्यूटर पर हिन्दी में टंकण		
क. गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25
2. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण		
क. गति परीक्षण	10 मिनट	25
ख. दक्षता परीक्षण	10 मिनट	25

II- निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज I में प्राप्त औसत अंक दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण :—

1. "निःशक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के उपबन्धों के अधीन लिपिक ग्रेड—II/ कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।
2. इस प्रकार निःशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की रैंक से नीचे का न हो, द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी
3. प्रश्न पत्रों का स्तर वह होगा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा का हैं परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार वह होगा जो बोर्ड समय—समय पर विहित करे और उसके अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जो बोर्ड उचित समझे।

SarkariExam.com